अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

विनियम

आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2021/2304

18 अक्टूबर 2021

यूरोपीय संसद और परिषद के विनियमन (ईयू) 2018/848 को जैविक रूप से एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-उपयोग को प्रमाणित करने वाले पूरक प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों के साथ पूरक करना निर्यात के उद्देश्य से पशु उत्पादों का उत्पादन

(ईईए प्रासंगिकता वाला पाठ)

यूरोपीय आयोग,

यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि को ध्यान में रखते हुए,

जैविक उत्पादन और जैविक उत्पादों की लेबलिंग पर यूरोपीय संसद और परिषद के 30 मई 2018 के विनियमन (ईयू) 2018/848 को ध्यान में रखते हुए और परिषद विनियमन (ईसी) संख्या 834/2007 को निरस्त करते हुए ([1]), और विशेष रूप से इसके अनुच्छेद 44(2),

जबकि:

(1) कुछ तृतीय देशों में यह अनिवार्य है कि जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना किया जाए। उन देशों के बाज़ारों तक पहुँच को सुगम बनाने के लिए, संघ में ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के इच्छुक संचालकों या संचालकों के समूहों को आधिकारिक दस्तावेज़ के माध्यम से एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग न करने का प्रमाण देना होगा।

(2) विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी या, जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय, किसी भी संचालक या संचालकों के समूह को एक प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे जिसने अपनी गतिविधि की सूचना दी है और उस विनियमन का अनुपालन करता है। यह प्रमाणित करने के लिए कि जैविक पशु उत्पाद एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना उत्पादित किए जाते हैं, संचालक या संचालकों के समूह के पास उन सक्षम प्राधिकारियों या, जहाँ उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारियों या नियंत्रण निकायों से एक पूरक प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध करने की संभावना होनी चाहिए। उस पूरक प्रमाणपत्र के लिए एक मॉडल स्थापित किया जाना चाहिए।

(3) स्पष्टता और कानूनी निश्चितता के हित में, यह विनियमन विनियमन (ईयू) 2018/848 के लागू होने की तिथि से लागू होना चाहिए,

इस विनियमन को अपनाया गया है:

अनुच्छेद 1

पशु उत्पादों के जैविक उत्पादन में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग न करने को प्रमाणित करने वाला पूरक प्रमाणपत्र निर्यात का उद्देश्य

किसी ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह के अनुरोध पर, जिसके पास विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35 में उल्लिखित प्रमाणपत्र पहले से ही मौजूद है, संबंधित सक्षम प्राधिकारी या, जहाँ उपयुक्त हो, संबंधित नियंत्रण प्राधिकरण या नियंत्रण निकाय, एक पूरक प्रमाणपत्र जारी करेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह ने एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन किया है, यदि संघ से उन उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता है। उस पूरक प्रमाणपत्र का मॉडल इस विनियमन के अनुबंध में दिया गया है।

([1]) ओजे एल 150, 14.6.2018, पृ. 1.

अनुच्छेद 2

लागू होना और लागू होना

यह विनियमन इसके प्रकाशन के तीसरे दिन से लागू होगा।यूरोपीय संघ का आधिकारिक रोज़नामचा।

यह 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

यह विनियमन सम्पूर्ण रूप से बाध्यकारी होगा तथा सभी सदस्य राज्यों पर प्रत्यक्ष रूप से लागू होगा।

ब्रुसेल्स में 18 अक्टूबर 2021 को सम्पन्न हुआ।

आयोग के लिए
अध्यक्ष
उर्सुला वॉन डेर लेयेन

उपभवन

जैविक रूप में एंटीबायोटिक दवाओं के गैर-उपयोग को प्रमाणित करने वाला पूरक प्रमाणपत्र निर्यात के उद्देश्य से पशु उत्पादों का उत्पादन

1. दस्तावेज़ संख्या:	2. (उपयुक्त चुनें) — ऑपरेटर — ऑपरेटरों का समूह
3. ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह का नाम और पता:	4. सक्षम प्राधिकारी का नाम और पता, या जहां उपयुक्त हो, ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह के नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय का नाम और पता तथा नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय के मामले में कोड संख्या:
5. उस विनियमन के अनुलग्नक VI के अनुसार विनियमन (ईयू) 2018/848 के अनुच्छेद 35 के अनुसार ऑपरेटर या ऑपरेटरों के समूह को प्रदान किए गए प्रमाण पत्र की दस्तावेज़ संख्या:	
यह प्रमाण पत्र यह प्रमाणित करने के लिए जारी किया गया है कि ऑपरेटर या ऑपरेटरों का समूह (उपयुक्त चुनें)एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के बिना निम्नलिखित जैविक पशु उत्पादों का उत्पादन किया गया: 1. ..... 2. ..... 3.	
6. दिनांक, स्थान: जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी या, जहां उपयुक्त हो, नियंत्रण प्राधिकारी या नियंत्रण निकाय की ओर से नाम और हस्ताक्षर:	7. पूरक प्रमाणपत्र ..... से वैध है।तिथि डालें]को.....।[तिथि डालें]